अमन चौधरी जे. के समक्ष

नर सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य प्रतिवादीगण

2017 का सी. आर. एम.-एम. सं. 42358

12 दिसंबर, 2022

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989-एस. 3 (1) (x), 14-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस. 460, 465-अधिनियम की धारा 14 के तहत विशेष न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई, मुख्य न्यायिक न्यायाधीश द्वारा जारी समन-अपराध कथित रूप से अधिनियम पर समिति थी जैसा कि 26.1.2016 से संशोधित किया गया था 02.04.2011-विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 08.11.2016 के आदेश के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि पूर्व-संशोधन प्रावधान उक्त शिकायत पर लागू होगा क्योंकि घटना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, (संशोधित), 2015 से बहुत पहले की है, जो 26.01.2016-संशोधन अधिनियम से प्रभावी है, विशेष रूप से धारा 14 के तहत उल्लेख किया गया है कि इस तरह से स्थापित विशेष न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी, जबकि पुराने अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिस ने संज्ञान लिया था, आदेश दिनांक 10.01.2017 को समन जारी किया था। इस अदालत के समक्ष पहले चुनोती दी गई, शिकायत और समन आदेश को खरिज कर दिया गया था, उस के बाद एस. एल. पी. को ख़ारिज कर दिया गया था, हालांकि याचिकाकर्ता को द.प.स. कि धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर करने की अनुमति दी गयी थी। **पहले से जारी नहीं किए गए नये आधारों को उठाना अधिनियम मे संशोधन के बाद विद्वान** न्यायाधीश दुआरा संज्ञान लेने के आदेश की स्थिरता है, केवल इस लिए के अब विशेष न्यायालय को अत्याचार के तहत अपराधो का संज्ञान लेने के लिए अतिरिक्त शक्तियां भी दी गई है। **धारा मे संशोधन के बाद** न्यायाधीश दुआरा लिया गया संज्ञान कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा. याचिका खरिज।

अभिनिर्धारित किया कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 02.04.2011 पर किए गए कथित अपराध के लिए, विशेष न्यायाधीश ने दिनांकित 08.11.2016 आदेश के माध्यम से कहा कि संशोधित अधिनियम, यह प्रावधान नहीं करता है कि यह पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा।इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि असंशोधित अधिनियम उक्त शिकायत पर लागू होगा।इस मामले को इन टिप्पणियों के साथ विद्वान सत्र न्यायाधीश के पास भेजा गया था कि विशेष न्यायालय द्वारा अपराधों का प्रत्यक्ष रूप से संज्ञान लेने की शक्ति संशोधित अधिनियम द्वारा प्रदान की गई है, जिस पर समान निष्कर्षों के साथ कि चूंकि घटना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, (संशोधित), 2015 से बहुत पहले की है,जो कि 26.01.2016 से प्रभावित है इसलिए किए गए संदर्भ को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और मामले को कानून के अनुसार इसके निपटारे के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक न्यायाधीश, रोहतक के

न्यायालय को भेज दिया गया था, जिसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 10.1.2017 के आदेश के माध्यम से संज्ञान लिया था।

नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 125

(अमन चौधरी, जे.)

(पैरा 22)

आगे अभिनिर्धारित किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे को पूर्व निर्दिष्ट आधिकारिक घोषणाओं में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम में संशोधन के बाद न्यायाधीश द्वारा लिया गया संज्ञान कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा, वर्तमान याचिकाएं खारिज किए जाने के योग्य हैं।

(पैरा 23)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एकलव्य गुप्ता।

तनुज शर्मा, एएजी, हरियाणा।

राकेश नेहरा, एस. के. सोहल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता

अमन चौधरी, जे।

(1) यह आदेश सी. आर. एम.-एम.-42358-2017 वाली याचिकाओं का निपटारा करेगा जिसमें शिकायत नंबर.433/7.6.2011/7.8.2011 और दिनांक 10.01.2017 और सी. आर. एम.-एम.-2223-2020 के समन आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उपरोक्त शिकायत में रोहतक के विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा पारित 08.11.2016 के आदेश को चुनौती दी गई है।संक्षिप्तता के लिए, तथ्यों को सीआरएम-एम-42358-2017 से लिया जा रहा है।

(2) संक्षेप में, 04.02.2011 शाम करीब 4 बजे, शिकायतकर्ता-राम मेहर एक वीर भान पुत्र रूपा राम के साथ अनुदान की मंजूरी के बारे में पूछताछ करने के लिए डी.ई.ई.ओ रोहतक के कार्यालय गए, लेकिन उस समय डी. ई. ई. ओ मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने डीलिंग क्लर्क नर सिंह से संपर्क किया और उनसे अनुदान की मंजूरी की स्थिति बताने का अनुरोध किया।वह यह कहकर शिकायतकर्ता के पास नहीं गया कि उसके पास समय नहीं है।जब शिकायतकर्ता ने उन्हें ठीक से देखने का अनुरोध किया, तो उसने उन्हें कार्यालय छोड़ने की धमकी दी। वह बहुत क्रोधित हो गया और शिकायतकर्ता को "कामीन, ढेड, चमारदा" कहकर और सभी विभागों में पदों से संबंधित कई अन्य गालियों से बुरी तरह अपमानित किया, जिसने उन्हें उच्च वर्ग से वरिष्ठ बना दिया था।उन्होंने आगे चिल्लाया कि शिकायतकर्ता "कामीन, ढेड" है और उसे कोई जानकारी नहीं है और सरकार ने उनकी सीटें आरक्षित करके उन्हें पंच, सरपंच बना दिया है।जब वह शिकायतकर्ता पर चिल्लाया तो वीर भान, महाबीर सिंह और जोगिंदर सिंह भी मौजूद थे।उन्होंने उससे शिकायतकर्ता पर चिल्लाने का अनुरोध किया, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया।शिकायतकर्ता ने मामले की सूचना रोहतक के डीएसपी, और एसपी को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।इन दावों के साथ, शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी।

(3) अपना मामला साबित करने के लिए, शिकायतकर्ता ने सी. डब्ल्यू. 1 के रूप में गवाह कटघरा में कदम रखा और चार और गवाहों से भी पूछताछ की।अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र, प्रदर्शनी.पी-8 और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 3 (i) (x) के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि समन आदेश मुख्य न्यायिक न्यायाधीश द्वारा 10.01.2017 पर पारित किया गया था, जिनके पास संशोधित अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, जो 01.01.2016 पर प्रभावी हुई थी, उसके संदर्भ में कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि शक्ति केवल सत्र न्यायाधीश के पास थी, जो विशेष न्यायालय था।वह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं गंगुला अशोक का मामला और दूसरा बनाम ए. पी. 1 का राज्य।

(5) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 08.11.2016 का संदर्भ दिया है, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अनुलग्नक आर-2/4 के रूप में जोड़ा गया है, और जवाब मे यह प्रस्तुत करने के लिए कि मामला उचित रूप से विद्वान सत्र न्यायाधीश को भेजा गया था, क्योंकि शिकायत अधिनियम के संशोधन से पहले दायर की गई थी। शिकायत में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों को देखते हुए, उसे मान्य निचली अदालत द्वारा लागू प्रक्रिया के अनुसार सही तरीके से तलब किया गया है।इस प्रकार वह वर्तमान याचिकाओं को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

(6) सुना है।

(7) शुरुआत में, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में कथित घटना की तारीख 02.04.2011 है; न्यायाधीश ने 10.01.2017 पर संज्ञान लिया; याचिकाकर्ता ने शिकायत और समन आदेश को चुनौती दी, धारा 482 भारतीय दंड सहिंता के तहत, जिसे इस अदालत ने खारिज कर दिया था, याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, दिनांकित 16.03.2017 आदेश के अनुसार; याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त के खिलाफ दायर एसएलपी को खारिज करने के बाद वर्तमान याचिकाएं फिर से 06.11.2017 पर दायर की गईं। इस न्यायालय आदेश को ,लेकिन इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन के अनुसार अधिनियम की धारा 14 के तहत केवल विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आधार पर एक नई याचिका दायर करने की अनुमति दी गई थी।हालाँकि, वर्तमान याचिका में शिकायत को भी चुनौती दी गई है।तब से, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी मुकदमा शुरू होने का इंतजार कर रहा है।

1 2000 (2) एस. सी. सी. 504

(अमन चौधरी, जे.)

(8) सबसे पहले, रोहतक के विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 08.11.2016 के आदेश का उल्लेख करना अनिवार्य है, जिसके तहत निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश को भेजा गया थाः-

"आज मामला विचार के लिए तय किया गया था।मामले के अवलोकन पर, फाइल यह प्रतीत होती है कि वर्तमान शिकायत 07.06.2011 पर दर्ज की गई थी, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का 1) 26.01.2016 से लागू है।संशोधन अधिनियम, 2015 में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि यह पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 20 (1) में विशेष रूप से कहा गया है कि अपराध करने के समय लागू कानून अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में लागू होता है।यह विशेष रूप से स्पष्ट है कि पुरानी शिकायत वर्तमान शिकायत पर लागू होती है।2015 के संशोधन अधिनियम में, इसने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि धारा 14, कि इस प्रकार स्थापित विशेष न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी, जबकि पुराने अधिनियम में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के साथ ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

विद्वत मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय को मामले का समर्पण धारा 209 और 323 के तहत प्रावधानों के माध्यम से किया जाता है। आगे यह ध्यान दिया जाता है कि वर्तमान शिकायत विद्वत न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड सहिंता की धारा 209 और 323 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किए बिना भेजी जाती है, जो भी लागू हो।इसलिए, इस संबंध में उचित आदेशों के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश, रोहतक के समक्ष मामले की फाइल प्रस्तुत की जाए।शिकायतकर्ता के विद्वान वकील को विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.11.2016 के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। इस न्यायालय के अहलकार को निर्देश दिया जाता है कि वे इस फाइल को विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, रोहतक के न्यायालय में समय पर भेजें।"

जोर दिया

गया है।

(9) रोहतक के विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 10.11.2016 के आदेश के माध्यम से विशेष रूप से दर्ज किया है कि "चूंकि यह घटना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, (संशोधित), 2015 से बहुत पहले की है,जो कि 26.01.2016 को प्रभावित हुई । इसलिए रोहतक के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए संदर्भ को स्वीकार कर लिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार निपटाने के लिए आज के लिए रोहतक के विद्वान मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के न्यायालय में वापस भेज दिया जाता है।"

(10) यह तब है जब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांकित 10.01.2017 के विवादित आदेश के माध्यम से समन आदेश पारित किया, जिसका संचालन भाग इस प्रकार हैः-

"शिकायतकर्ता द्वारा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेज़ यानी शिकायतकर्ता के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्रदर्शनिए पी 8 से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है। शिकायतकर्ता और अन्य भौतिक गवाहों की गवाही से यह भी स्पष्ट है कि आरोपी ने अपने मामले के संदर्भ में शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जाति का सदस्य होने के नाते उसे अपमानित करने के इरादे से अपमानजनक टिप्पणी की।इस प्रकार, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (i) (x) के तहत आरोपी को समन करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इसलिए, शिकायत आदि की प्रति दाखिल करने पर 25.01.2017 के लिए अभियुक्त को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (i) (x) के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए तलब करने का आदेश दिया जाता है।"

(11) पीड़ित याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष धारा 482 भारतीय दंड सहिता के तहत सी. आर. एम.-एम. 9013-2017 दायर किया, जिसे दिनांकित 16.03.2017 के आदेश के अनुसार गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, यह देखते हुए कि "दस्तावेजों के अवलोकन और मूल्यांकन यानी पी-2 से पी-6 तक, यह उभरता है कि विद्वत समन करने वाले न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी भी अवैधता या विकृति से ग्रस्त नहीं है।बल्कि याचिकाकर्ता का विद्वान वकील किसी भी साक्ष्य या परिस्थितियों का उल्लेख करने में विफल रहा है, जिस पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार और सराहना नहीं की गई है।"

(12) याचिकाकर्ता ने एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) दाखिल करके भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को लिया। 2017 का क्रमक संख्या. 3555, जिसे दिनांकित 27.10.2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जो इस प्रकार हैः-

"इस विशेष अनुमति याचिका को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क के अनुसार कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन के बाद, संशोधन अधिनियम, 1/2016 दिनांक 01.01.2016 के अनुसार, अपराध का संज्ञान केवल विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाता है।इस आशय का यह प्रावधान केवल धारा 14 के लिए किया गया है। शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया था। हालाँकि इस स्थिति को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि इस आधार को किसी भी समय लिया जा सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता को उपरोक्त तथ्यों को उठाते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (द.प.स.) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं और एक बार ऐसी याचिका दो सप्ताह के भीतर दायर की जाती है, तो उच्च न्यायालय द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर इस पर विचार किया जाएगा।

याचिकाकर्ता को दो सप्ताह की अवधि के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।"

(13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अब वर्तमान याचिकाओं में, इस न्यायालय के विचार के लिए एकमात्र मुद्दा अधिनियम में संशोधन के बाद विद्वान न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लेने के आदेश की स्थिरता के बारे में है।

(14) उपरोक्त मुद्दे का मूल्यांकन करने के प्रयास में, कानून के लिए एक लाभदायक संदर्भ दिया जा रहा है जैसा कि एक विस्तृत विवरण में स्पष्ट किया गया है। शांताबेन भूराभाई भूरिया बनाम आनंद अताभाई चौधरी और अन्य के मामले में घोषणा। जिसमें ठीक जैसा कि वर्तमान मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था और आदेश 15.02.2017 के माध्यम से प्रक्रिया जारी की थी, हालांकि एक पुलिस रिपोर्ट पर, एक अपराध के लिए जो कथित रूप से 06.09.2013 पर किया गया था, माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि अब विशेष न्यायालय को भी अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए और अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं, अधिनियम में संशोधन के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा।उपरोक्त से संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

" 8.0. इसलिए, मुद्दा/प्रश्न यह उठाया गया के इस न्यायालय का विचार यह है कि क्या ऐसे मामले में जहां विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जाता है और उसके बाद मामला विद्वत विशेष न्यायालय को सौंपा जाता है, क्या अत्याचार अधिनियम की धारा 14 के दूसरे प्रावधान को ध्यान में रखते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही को दूषित कहा जा सकता है, जिसे 2016 के अधिनियम 1 द्वारा अंतः 26.01.2016 दुआरा स्थापित किया गया था।

8.1.उपरोक्त मुद्दे/प्रश्न पर विचार करते समय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रासंगिक प्रावधानों के विधायी इतिहास, विशेष रूप से, धारा 14 पूर्व-संशोधन और संशोधन के बाद पर विचार करने की आवश्यकता है।धारा 14 जैसा कि संशोधन से पहले और संशोधन के बाद था, निम्नानुसार है:

"धारा 14.विशेष न्यायालय (पूर्व संशोधन):त्वरित सुनवाई का प्रावधान करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को इस अधिनियम की धारा 14 के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी।विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय (संशोधन के बाद):(1) त्वरित सुनवाई का प्रावधान करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक जिलों के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी:बशर्ते कि जिन जिलों में इस अधिनियम के तहत मामलों की संख्या कम दर्ज की जाती है, वहां राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे

जिलों के लिए उल्लेखित करेगी कि सत्र न्यायालय इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय होगा।

बशर्ते कि इस प्रकार स्थापित या निर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी।“

8.2.इस न्यायालय को रतिराम और अन्य (उपरोक्त) के मामले में धारा 14 के पूर्व-संशोधन पर विचार करने का अवसर मिला था। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, जो संशोधन से पहले था, विद्वान सत्र न्यायालय ने सीधे संज्ञान लिया।

XXXXXXX

नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 131

(अमन चौधरी, जे.)

9.1.दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207,209 और 193 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने और 2016 दिनांक 26.01.2016 के अधिनियम संख्या 1 द्वारा अत्याचार अधिनियम की धारा 14 में परंतुक शामिल करने पर, हमारी राय है कि उपरोक्त आधार पर पूरी आपराधिक कार्यवाही को दूषित नहीं कहा जा सकता है।अत्याचार अधिनियम की धारा 14 का दूसरा परंतुक, जिसे 2016 के अधिनियम 1 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है, दिनांक 26.01.2016 से त्वरित सुनवाई के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से इस प्रकार स्थापित या निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, त्वरित विचारण की सुनवाई के पास भी अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी। धारा 14 में परन्तुक डालने के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 193,207 और 209 के साथ टकराव में नहीं है।यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने और उसके बाद अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमे के लिए विशेष अदालत को मामले को सौंपने के अधिकार क्षेत्र को छीन लेता है। केवल इसलिए कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपराधों का संज्ञान लिया है और उसके बाद त्वरित सुनवाई का प्रावधान करने के उद्देश्य से स्थापित विशेष न्यायालय को मुकदमा/मामला सौंपा गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र आदि सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही दूषित है और उपरोक्त आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 452,323,325,504,506 (2) और 114 के तहत और अत्याचार अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के तहत अपराधों के लिए पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि अत्याचार अधिनियम की धारा 14 में परंतुक को शामिल करने और उस उद्देश्य और मकसद पर विचार करने के लिए अत्याचार अधिनियम की धारा 14 का परंतुक जोडा गया है, अर्थात त्वरित सुनवाई के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से और ऊपर बताए गए उद्देश्य और मकसद के लिए, यह सलाह दी जाती है कि इस प्रकार स्थापित या धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में निर्दिष्ट न्यायालय, त्वरित सुनवाई के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से सीधे अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान ले। लेकिन साथ ही, जैसा कि ऊपर देखा गया है, केवल इस आधार पर कि अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान सीधे अत्याचार अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाता है, पूरी आपराधिक कार्यवाही को दूषित नहीं कहा जा सकता है और खारिज नहीं कर सकते और पूरी तरह से इस आधार पर अलग रखा जाए कि धारा 14 में दूसरा परंतुक

डालने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है जो विशेष न्यायालय को भी अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करता है और उसके बाद मामला विशेष न्यायालय/सत्र न्यायालय को सौंपा जाता है।"

(15) प्रदीप एस. वोडेयार बनाम कर्नाटक राज्य 3 के मामले में कानून की स्पष्ट व्याख्या का भी संदर्भ देना उचित होगा, जिसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः

"25. इस विवाद के गुण-दोष को संबोधित करने से पहले, हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 की व्याख्या पर इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करना अनिवार्य समझते हैं। गंगुला अशोक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 15 में दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय अपीलार्थियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज एक शिकायत से उत्पन्न हुआ।पुलिस ने जांच के बाद सीधे सत्र अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।सत्र न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है। विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोप तय किए गए थे।आरोप पत्र और आरोप पत्र को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया गया था।एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि विशेष न्यायाधीश को अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जब तक कि उस पर मामला नहीं चलाया जाता है और तदनुसार कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र और संबंधित कागजातों को पुलिस अधिकारी को वापस करने का निर्देश दिया, जिसे समर्पण के उद्देश्य से जे. एम. एफ. सी. के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया था और विशेष अदालत को उचित आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था।उच्च न्यायालय के आदेश पर इस न्यायालय के समक्ष अपील में सवाल उठाया गया था।पहला मुद्दा जो उठा वह यह था कि क्या विशेष न्यायाधीश द्वारा 'मामले को किए बिना' सीधे संज्ञान ले सकते थे। एस.सी. और एस.टी. अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय एक सत्र न्यायालय था, जो अधिनियम की धारा 14 को ध्यान में रखता था। धारा 14 के प्रावधान को निर्धारित करने के बाद, न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस ने कहा कि विशेष न्यायालय ने अधिनियम का गठन केवल उन अपराधों के 'त्वरित परीक्षण' के लिए किया गया था जो 'जांच' से अलग हैं।

Xxx xxxx

3 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1140

(अमन चौधरी, जे.)

32. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14 को 26 जनवरी 2016 से 2016 के अधिनियम 1 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।संशोधन के बाद धारा 14 (1) के परंतुक में कहा गया है कि विशेष न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी। हाल ही में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने **शांताबेन भूराभाई भूरिया बनाम आनंद अताभाई** चौधरी 23 ने एससी और एसटी अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान की व्याख्या की। उस मामले में,

एससी/एसटी अधिनियम और दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, न्यायिक न्यायाधीश ने अपराधों का संज्ञान लिया और धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी की और फिर मामले को विशेष अदालत को सौंप दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट और समन आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था।यह तर्क दिया गया कि एससी और एसटी अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान को देखते हुए, न्यायाधीश के पास अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने की कोई शक्ति नहीं थी। उच्च न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और इस आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया कि धारा 14 का परंतुक न्यायाधीश के संज्ञान लेने के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर देता है।अपील पर, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14 का परंतुक न्यायाधीश की संज्ञान लेने की शक्ति को समाप्त नहीं करता है, लेकिन यह न्यायाधीश के अलावा विशेष अदालत को संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करता है। उच्च न्यायालय के फैसले को उलटते हुए, न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

(i) धारा 14 न्यायाधीश की संज्ञान लेने और मामले को मुकदमे के लिए विशेष न्यायालय को सौंपने की अधिकारिता को नहीं छीनती है।संशोधित धारा 14 में उपयोग किए गए शब्द हैं "इस प्रकार स्थापित या निर्दिष्ट न्यायालय को इस न्यायालय के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी"।'केवल' शब्द गायब है; और

((ii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीश के संज्ञान लेने के कार्य को उच्चतम स्तर पर अनियमित माना जा सकता है और कारवाई को दूषित नहीं करेगा।

xxx

43. यह निर्धारित करने के लिए स्थापित परीक्षण कि क्या एकधारा 465 के प्रयोजन के लिए न्याय की विफलता यह है कि क्याअनियमितता ने अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया है।स्ट्रेटजैकेट सूत्र लागू नहीं किया जा सकता है।हालांकि, इस दौरान यह निर्धारित करते हुए कि क्या न्याय की विफलता थी, न्यायालय कर सकते थे। चुनौती के चरण के संदर्भ में निर्णय लें,आरोपित अपराध की गंभीरता और स्पष्ट इरादा कार्यवाही को लंबा करना।यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या न्याय की विफलता, कार्यवाहियों का समापन और उद्देश्य देरी की चिंता ,तुच्छ मुकदमेबाजी के खतरे पर अंकुश लगाने का प्रावधान को ओवरराइड करेगा”

(16) उपरोक्त निर्णय में प्रस्तुत किए गए निष्कर्ष, जो वर्तमान मामले से संबंधित हैं, इस प्रकार हैंः।

“((i) XX XXXX

((ii) धारा 465 का उद्देश्य मुकदमे की शुरुआत देरी को रोकना है। और समापन मे धारा 465 भ.द.स. एक आदेश जैसे अंतर्वर्ती आदेशों जैसे संज्ञान लेना और समन आदेश पर भी लागू होता है।इसलिए,भले ही संज्ञान लेने का आदेश अनियमित हो, यह धारा 465 भ.द.स. को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा

(iii & iv) XXX XXXXX

(v) यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है जिसका संज्ञान लिया जाता है।अपराध और अपराधी नहीं।हालांकि, संज्ञानआदेश इंगित करता है कि विशेष न्यायाधीश ने सभी पर विचार किया है।संज्ञान से पहले मामले से संबंधित प्रासंगिक सामग्री काअध्यन किया है।आदेश के रूप में परिवर्तन से इसका प्रभाव नहीं बदलेगा।इसलिए, धारा के तहत कोई 'न्याय की विफलता' साबित नहीं होती है।इस प्रकार यह अनियमितता धारा 465 भ.द.स को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को प्रभावितनहीं करेगी।

(17) शांताबेन भूराभाई भूरिया (ऊपर) के मामले में यह देखा गया कि, "प्रावधान में उपयोग किए गए शब्द हैं" इस प्रकार स्थापित या निर्दिष्ट न्यायालय को इस न्यायालय के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी "।"केवल" शब्द स्पष्ट रूप से गायब है।यदि विधायिका की मंशा अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान विशेष रूप से विशेष न्यायालय को देने की है, तो उस मामले में शब्दांकन होना चाहिए था।" कि केवल इस प्रकार स्थापित या निर्दिष्ट न्यायालय को इस अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी।"इसके अलावा यह भी देखा गया कि, "ऐसा प्रतीत होता है कि रतिराम और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों ने अधिनियम की धारा 14 में संशोधन को जन्म दिया और ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के अनुसार सत्र न्यायालय में मामला दर्ज करने पर प्रक्रियात्मक पहलू पर समय बर्बाद करने से बचा जा सकता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराध को रोकने के लिए अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों के लिए और अधिक देरी से बचने और त्वरित सुनवाई करने से बचा जा सकता है।आगे यह कहा गया कि, "यह सच है कि प्रतिबद्ध कार्यवाही को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन वर्तमान अवतार में, यह वास्तव में रूपांतरित हो गया है और न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से संकुचित हो गई है।"इसलिए, धारा 14 में परन्तुक डालने के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह संज्ञान लेने के लिए की न्यायाधीश अधिकारिता को नहीं छीनता है, इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि पूरी आपराधिक कार्यवाही दूषित हो गई है और इसे रद्द किया जा सकता है और केवल इस आधार पर अलग रखा जा सकता है कि न्यायाधीश द्वारा अपराधों का संज्ञान लिया गया है और उसके बाद मामले को त्वरित सुनवाई का प्रावधान करने के उद्देश्य से स्थापित विशेष न्यायालय को सौंप दिया गया है, जिसके लिए धारा 14 का परन्तुक विशेष न्यायालय को भी अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्तियां प्रदान करता है।

(18) संतोष देव बनाम अर्चना गुहा 4 में, माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "एक प्रक्रियात्मक प्रावधान की कोई भी और प्रत्येक अनियमितता या उल्लंघन किसी उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए एक आधार का गठन नहीं कर सकता है जब तक कि इस तरह की अनियमितता या उल्लंघन ने पक्ष के लिए अपूरणीय पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया है और उसी स्तर पर इसे ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंतर्वर्ती चरणों में उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के लगातार हस्तक्षेप उन उद्देश्यों को पूरा करने के बजाय न्याय के

उद्देश्यों को विफल कर देते हैं।ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति कानून को दूर रखने में सक्षम हो।इसका मतलब यह होगा कि यह प्रणाली ही विफल हो गई।"

(19) इसके अलावा, फिर भी शांताबेन भूराभाई भूरिया (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, "इसलिए, जब तक अत्याचार अधिनियम की धारा 14 से आने वाले अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं, तब तक अभियुक्त कोई शिकायत नहीं कर सकता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वत न्यायाधीश द्वारा अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लेते हुए और उसके बाद मामले को न्यायालय को सौंप दिया जाए। विशेष न्यायालय, वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त है।" यह देखते हुए कि, "तर्कों के लिए यह भी मानते हुए कि अपनाई गई प्रक्रिया अनियमित थी, इसमें पीड़ित जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है, उसे क्यों पीड़ित किया जाना चाहिए।"

4 1994 एससीसी (2)

(20) प्रदीप एस. वोडेयार (ऊपर) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान की अवधारणा की व्याख्या करते हुए कहा कि, "किशन सिंह (ऊपर) और धरम पाल (ऊपर) में चर्चा से यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपराध का संज्ञान लिया जाता है न कि अपराधी का।इस प्रकार, न्यायाधीश या विशेष न्यायाधीश के पास अभियुक्त का संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है।अभियुक्त के बजाय अपराध का संज्ञान लेने का उद्देश्य यह है कि अपराध बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ किया जाता है।इसलिए, राज्य की शिकायत अपराध करने के खिलाफ है न कि अपराधी के खिलाफ।एक अभिनेता के रूप में अपराधी को दंड प्रदान करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया में लक्षित किया जाता है ताकि सुधार, प्रतिशोध और निरोध जैसे विभिन्न तरीकों से अपराध को रोका या कम किया जा सके।इस प्रकार अपराध के खिलाफ संज्ञान लिया जाता है न कि आरोपी के खिलाफ क्योंकि विधायी उद्देश्य अपराध को रोकना है।अभियुक्त अपराध को रोकने और संबोधित करने के अंत तक पहुँचने का एक साधन है।" जैसा कि आगे कहा गया है कि भ.,द.स के अध्याय XXXV का उद्देश्य न केवल मुकदमा शुरू होने या समाप्त होने के बाद कार्यवाही के समापन में देरी को रोकना है, बल्कि मुकदमे से पहले के चरण में देरी पर अंकुश लगाना और त्वरित मुकदमे के संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांत को आगे बढ़ाना भी है।"

(21) गंगुला अशोक (उपरोक्त) का मामला विशिष्ट होने के कारण, पुलिस द्वारा आरोप पत्र सीधे सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, ऐसी स्थिति होने पर, उच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया था कि विशेष न्यायाधीश को अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जब तक कि मामला उस पर नहीं किया गया था और तदनुसार कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।इसने आरोप पत्र और संबंधित कागजात पुलिस अधिकारी को वापस करने का निर्देश दिया, जिसे न्यायिक न्यायाधीश प्रथम श्रेणी के समक्ष समर्पण के उद्देश्य से पेश करने का निर्देश दिया गया था और विशेष अदालत को उचित आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था, जिसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।

(22) अब मामले की ओर लौटते हुए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 02.04.2011 पर किए गए कथित अपराध के लिए, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दिनांकित 08.11.2016 के आदेश में कहा कि संशोधित अधिनियम, यह प्रावधान नहीं करता है कि यह पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा।इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि गैर-संशोधित अधिनियम होगा। उक्त शिकायत पर लागू होता है।इस मामले को इन टिप्पणियों के साथ विद्वान सत्र न्यायाधीश को भेजा गया था कि विशेष न्यायालय द्वारा अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति संशोधित अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी, जिस पर समान निष्कर्षों के साथ कि चूंकि यह घटना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, (संशोधित), 2015 से बहुत पहले की है, इसलिए किए गए संदर्भ को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और मामले को कानून के अनुसार इसके निपटारे के लिए विद्वान मुख्य न्यायिक न्यायाधीश रोहतक के न्यायालय को भेज दिया गया था, जिसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 10.1.2017 के आदेश के माध्यम से संज्ञान लिया था।

नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य होगा। 137

(अमन चौधरी, जे.)

(23) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त संदर्भित आधिकारिक घोषणाओं में इस मुद्दे को स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम में संशोधन के बाद न्यायाधीस द्वारा लिया गया संज्ञान कार्यवाही को दूषित नहीं करेगा, वर्तमान याचिकाएं खारिज किए जाने के योग्य हैं।

(24) तदनुसार, वर्तमान याचिकाएं योग्यता से रहित होने के कारण खारिज की जाती हैं।

(25) ऊपर दी गई टिप्पणियां केवल वर्तमान मामले के निर्णय के उद्देश्य से हैं और किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जा सकती हैं।

(26) संबंधित मामले की फाइल पर फैसले की एक फोटोकॉपी रखी जाय।

दिव्या गुर्ने

आशा रानी

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।